अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

A3/11

ऑन लाईन नं. GCMS2021/51

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़ आर0ए0एस0

निगरानी प्रकरण सं0 16/2021

1. विनोद पुत्र श्री अगीचन्द, जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 03, चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत चूनावढ, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. हरबंस लाल पुत्र श्री देवीदित्ता राम, निवासी चक 30 जी.जी. चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत चूनावढ दिनांक 12.03.2018, जो कि संकल्प संख्या 02, दिनांक 20.07.2017 की अनुपालना में पारित कर पट्टा संख्या 92, गैर–निगरानीकर्ता संख्या 02 के पक्ष में विधि विरूद्व रूप से जारी किया गया, को निरस्त करने हेतू।

उपस्थित :–

1. श्री प्रदीप सिंहाग अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री सुभाष मिढा अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता

:: आदेश :: दिनांकः 27.09.2023

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ''

1. यह है कि प्रार्थी ग्राम पंचायत चूनावढ का स्थायी निवासी है और इस पंचायत का करदाता है जिस कारण प्रार्थी वर्तमान निगरानी प्रस्तुत करने में सक्षम है।
2. यह कि सरंपच, ग्राम पंचायत चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा रिहायशी मकान का आवंटन आदेश दिनांक 12.03.2018, पट्टा संख्या 92, जो संकल्प संख्या 2 दिनांकित 20.07.2017 की अनुपालना में जारी किया गया, सर्वथा विधि विरूद्व है। उक्त पट्टा सरपंच, ग्राम पंचायत चूनावढ द्वारा नियम विरूद्व एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत जारी किये जाने के कारण प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है। प्रमाणित प्रतिलिपि पट्टा संख्या 92 दिनांकित 12.03.2018 संलग्न निगरानी है।
3. यह कि सरपंच ग्राम पंचायत चूनावढ, तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा निगरानी में दर्ज प्रश्नगत पट्टा का आदेश अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर व राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के आज्ञापक प्रावधानों की अनदेखी कर एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत जाकर नियम

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

विरूद्व रूप से अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा संख्या 92 दिनांक 12.03.2018 को जारी कर दिया गया। निगरानीकर्ता द्वारा वर्ष 2017 में गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 के पक्ष में पट्टा जारी करने से पूर्व प्रश्नगत् अहाता का पट्टा निगरानीकर्ता के पक्ष में पुराने कब्जे के आधार पर जारी करने हेतु कई बार गैर–निगरानीकर्ता संख्या 1 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, परन्तु गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 के पक्ष में बिना कब्जा के आधार पर प्रश्नगत् अहाता का पट्टा संख्या 92 दिनांक 12.03.2018 को जारी कर दिया गया जिस कारण उक्त आदेश व पट्टा विधि विरूद्व रूप से जारी किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

4. यह कि प्रश्नतगत् अहाता का पट्टा जारी करने से पूर्व सरपंच , ग्राम पंचायत चूनावढ, तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रश्नगत् अहाता के सम्बन्ध में कोई जांच कब्जे के सम्बन्ध में नहीं की गई, न ही निगरानीकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया, बल्कि आलौच्य आदेश, बिना पूर्ण सुनवाई के, पारित किया गया है, जबकि गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 का कभी भी उक्त प्रश्नतगत् अहाता पर कब्जा नहीं रहा तथा न ही वर्तमान समय में है। निगरानीकर्ता का उक्त अहाता पर कब्जा लगभग 25–30 वर्षो से निर्विवाद रूप से चलता आ रहा है जो आज भी है तथा निगरानीकर्ता के कृषि उपकरण एवं लकड़िया , गोबर की खाद (रूड़ी) उक्त अहाता में पड़ी है। गैर–निगरानीकर्ता संख्या 1 द्वारा राजस्थान पंचायत नियम, 1996 की धारा 141 से 160 की अनदेखी कर पट्टा संख्या 92 विधि विरूद्व रूप से दिनांक 12.03.2018 को जारी कर दिया गया जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त अहाता की रंगीन फोटो सलंग्न निगरानी है।

5. यह कि पट्टा विलेख संख्या 92 दिनांक 12.03.2018 जो कि दिनांक 20.07.2017 को संकल्प संख्या 2 की अनुपालना में जारी किया गया है, के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त पट्टा विधि विरूद्व रूप से गैर–निगरानीकर्ता संख्या2 के पक्ष में जारी किया गया है। उक्त पट्टा में दिनांक 05.06.2017को ग्राम पंचायत एवं गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है। उक्त पट्टा में दिनांक 05.06.2017 को ग्राम पंचायत एवं गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित होना अंकित किया गया है, जबकि सम्पूर्ण कार्यवाही गैर–निगरानीकर्ता सख्या 2 के पक्ष में दिनांक 20.07.2017 के पश्चात् होनी पाई गई है। द्वितीय पट्टा में अंकित शर्त संख्या 1 के अनुसार आवंटी गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 का लगभग 50 वर्ष से अधिक पुराने घर पर कब्जा दर्शाया गया है जैसाकि राजस्थान पंचायत नियम 157(1) में अंकित किया गया है, परन्तु उक्त अहाता पर गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 का कब्जा कभी नहीं रहा है, न ही वर्तमान में है तथा न ही उक्त अहाता पर कोई कमरा या घर गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 का निर्मित है। इस प्रकार गैर–निगरानीकर्ता संख्या 1 द्वारा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 के पक्ष में जारी उक्त आदेश व पट्टा विधि विरूद्व रूप से जारी किये जाने योग्य है। गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 द्वारा उक्त विधि विरूद्व पट्टा संख्या 92 के आधार पर निगरानीकर्ता को प्रश्नगत् अहाता से बेदखल

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

A3/3

करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है एवं इस हेतु निरन्तर धमकी दी जा रही है। यही कारण निगरानी प्रस्तुत करने का निगरानीकर्ता को प्राप्त है।

6. यह कि निगरानीकर्ता का प्रश्नगत् अहाता पर कब्जा लगभग 25–30 वर्षो से निरन्तर निर्विवाद रूप से चला आ रहा है तथा आज भी है जिस कारण निगरानीकर्ता उक्त आदेश से प्रभावित पक्षकार होने एवं निगरानीकर्ता का प्रश्नगत् अहाता पर कब्जा होने के कारण निगरानीकर्ता हितबद्व पक्षकार होने के फलस्वरूप वर्तमान निगरानी प्रस्तुत करने में सक्षम है।
7. यह कि निगरानीधीन आदेश पारित करने से पूर्व न तो निगरानीकर्ता को सुना गया तथा न ही उक्त प्रश्नगत् अहाता का आवंटन गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 के पक्ष में जारी किये जाने का ज्ञान निगरानीकर्ता को था। दिनांक 28.06.2021 को जब गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 द्वारा उक्त अहाता का पट्टा ग्राम पंचायत चूनावढ़ द्वारा उसके पक्ष में जारी होना बताया जाकर निगरानीकर्ता को उक्त अहाता से बेदखल करने की कोशिश की गई तो निगरानीकर्ता द्वारा गैरनिगरानीकर्तागण से प्रश्नगत् अहाता के पट्टे की प्रति चाही गई जो गैर–निगरानीकर्तागण ने निगरानीकर्ता को प्रदान करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया जिस पर निगरानीकर्ता द्वारा उप तहसील चूनावढ से पट्टे की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 01.07.2021 को प्राप्त कर वर्तमान निगरानी बिना किसी देरी के जानकारी से अन्दर अवधि श्रीमान् न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करवाने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रकार निगरानीधीन आदेश को जानकारी से अन्दर अवधि जरिये निगरानी चुनौती दी जा रही है।

अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि गैर–निगरानीकर्ता संख्या 1 द्वारा संकल्प संख्या 2 दिनांक 20.07.2017 की अनुपालना में आदेश दिनांक 12.03.2018 पारित कर जो पट्टा संख्या 92, गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 के पक्ष में विधि विरूद्व रूप से जारी किया गया है, को निरस्त फरमाया जावें। अन्य कोई न्यायसंगत आदेश जो माननीय न्यायालय प्रार्थी के पक्ष में उचित समझे, प्रदान किया जावें।

निगरानी से सबंधित रेकार्ड ग्राम पंचायत से तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 सरंपच , ग्राम पंचायत चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02 के पक्ष में पट्टा संख्या 92 दिनांक 12.03.2018 को जारी किया गया है। प्रश्नगत अहाता के सम्बन्ध में कोई जांच कब्जे के राम्बन्ध में नहीं की गई, न ही निगरानीकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02 का कभी भी उक्त प्रश्नगत अहाता पर कब्जा नहीं रहा है न ही वर्तमान समय में है। निगरानीकर्ता का उक्त अहाता पर कब्जा 25–30 वर्षो से निर्विवाद रूप से चला आ रहा है, जो आज भी है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 की धारा 144 से 160 की अनदेखी कर पट्टा संख्या 92 विधि विरूद्व रूप से दिनांक 12.03.2018 को जारी को किया गया है। उक्त पट्टा में दिनांक 05.06.2017 को ग्राम पंचायत एवं

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित होना अंकित किया गया है जबकि सम्पूर्ण कार्यवाही गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 के पक्ष में दिनांक 20.07.2017 के पश्चात होनी पाई गई है। द्वितीय पट्टा में अंकित शर्त संख्या 1 के अनुसार आवंटी गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 का लगभग 50 वर्ष से अधिक पुराने घर पर कब्जा दर्शाया गया है जैसा कि राजस्थान पंचायत नियम 157(1) में अंकित किया गया है परन्तु उक्त अहाता पर गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 का कब्जा कभी नहीं रहा है, न ही वर्तमान में है एवं न ही उक्त अहाता पर कोई कमरा या घर गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 का निर्मित है जैसा कि निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत अहाता की फोटो से प्रमाणित है। प्रश्नगत भूखण्ड का बिना प्रचलित दर के मूल्य का निर्धारण किये, पुराने कब्जे के आधार पर बिना गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 के कब्जे एवं गृह निर्मित होने के सम्बन्ध में जांच किये, नियमन के आधर पर आवंटन आदेश दिनांक 12.03.2018 द्वारा पट्टा कमांक संख्या 92 जो, गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया, सर्वथा विधिविरूद्ध है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 सरपंच, ग्राम पंचायत चूनावढ द्वारा निगरानी दर्ज प्रश्नगत पट्टा का आदेश अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर व राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के आज्ञापक प्रावधानों की अनदेखी कर एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर नियम विरूद्ध रूप से खाली भूखण्ड का व्यक्तिगत तौर पर बिना विशिष्ट कारण दर्शित किये, जारी कर दिया गया। ग्राम पंचायत द्वारा समस्त कार्यवाही गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 के पक्ष में पट्टा संख्या 92 जारी किये जाने के सम्बन्ध में विधिविरूद्ध रूप से उसे व्यक्तिगत लाभ प्रदान करने हेतु की गई है। जहां तक विवादित पट्टा उप पंजीयक चूनावढ से रजि0 करवाया हुआ होना बताया है के सम्बन्ध में सुनवाई का क्षेत्राधिकारी श्रीमान न्यायालय को है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत चूनावढ के आदेश दिनांक 12.03.2018 जो कि संकल्प संख्या 2 दिनांक 20.07.2017 की अनुपालना में पारित कर पट्टा संख्या 92 गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा निम्न नजीरे पेश की है :–

1. नजीर संख्या –01

> Ghewar Chand & Anr. VS State of Rajasthan & Ors. S.B. Civil Writ Petition NO. 8887/2017 "पट्टा का रजिस्ट्रेशन सुरक्षा कवच नहीं माना जा सकता– पट्टा निरस्त करने हेतु पट्टा का रजिस्ट्रेशन आधार नहीं होगा।"

2. नजीर संख्या –02 डीएनजे 2017(2) पेज–668

> Rajasthan Panchayati Raj Act,1994-Sec.-97 –Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996-R.157- Issuance of Patta for old houses- Plot in question were open plots and no construlction was present- Pattas issued in favour of the petitioners cancelled by the collector- Plot was more than 300 sq. yds. and no sanction obtained from the competent authority- Presence of constructed house not mentioned in the application- In site report existence of constructed old house not shown- Fact of old construlcted house not ascertained- Regularisation of open plots is not permissible- Proceedings initiated for issuing patta was ex facie illegal and without jurisdiction- Held, Order passed by the revisional authority is neither illegal not perverse and upheld.

गैरनिगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि निगरानीकर्ता का उक्त भूखण्ड से कोई लेना देना नही है एवं स्वामित्व भी नहीं है। गैरनिगरानीकर्ता के पूर्वजो का उक्त भूखण्ड पर 50–55 वर्षो से कब्जा था । निगरानीकर्ता का उक्त

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

A15

विवादित भूखण्ड पर निगरानीकर्ता का कभी भी कब्जा नहीं रहा है केवल परेशान करने की नियत से उक्त निगरानी पेश की गई है। गैरनिगरानीकर्ता के नाम जारी पट्टा की दिनांक को पंचायत द्वारा एक ही पट्टा जारी नहीं किया गया है बल्कि उक्त दिनांक को 70 पट्टे जारी किये गये है। उक्त विवादित पट्टा रजि0 पट्टा है। उक्त पट्टा जारी करते समय पट्टा पर आसा–पासा के मकान मालिक के नाम अंकित है एवं पड़ौसियों के शपथ पत्र पेश किये है एवं एक कमरा बना हुआ है। सरंपच , ग्राम पंचायत चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा पट्टा संख्या 92 दिनांक 12.03.2018 पुराने कब्जो के आधार पर मुझ गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02 के कब्जे एवं गृह निर्मित होने की जांच कर नियमन के आधर पर आवंटन आदेश दिनांक 12.03.2018 द्वारा पट्टा कमांक संख्या 92 जारी किया गया। उक्त पट्टा सरपंच, ग्राम पंचायत चूनावढ द्वारा नियमो की पूर्ण पालना कर एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों की पालना कर राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के प्रावधानों की पालना कर जारी किया गया। उक्त विवादित पट्टा उप पंजीयक चूनावढ द्वारा रजि0 किया जा चुका है। रजि. पट्टा को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को नहीं है। रजि0 पट्टा को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। अतः निगरानीकर्ता की खारिज फरमाई जावें।

1. आर.आर.टी. 2020(1) पेज–508

Revenue Courts had no Jurisdiction to cancel the reg. gift deed.

2. आर.जे.टी. 2015(2) पेज–1406

Regd. sale deed could not have been set aside by the collector under revisional Jurisdiction.

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अभिलेख का सूक्ष्म परीक्षण किया। कानूनी प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में उभय पक्ष के निगरानीधीन पट्टो का ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध रिकॉर्ड के आलोक में अध्ययन किया। सर्वप्रथम निगरानीकर्ता के द्वारा प्रस्तुत हस्तगस निगरानी में आक्षेपित पट्टा सरंपच , ग्राम पंचायत चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा खाली भूखण्ड का नियमन के आधार पर पट्टा कमांक 92 आवंटन आदेश दिनांक 12.03.2018 को जारी किया गया है जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय चूनावढ द्वारा किया गया है। गैरनिगरानीकर्ता का कथन कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा 12.03.2018 का रजि0 हो चुका है इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2020(1) पेज–508 Revenue Courts had no Jurisdiction to cancel the reg. gift deed. एवं आर.जे.टी. 2015(2) पेज–1406 Regd. sale deed could not have been set aside by the collector under revisional Jurisdiction. के अनुसार रजि0 पट्टा को निरस्त करने एवं सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को न होकर सीविल न्यायालय को है यह कथन माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टात मिथू सहानी के निर्णय के अनुसार स्वीकार करने योग्य नहीं है। माननीय राज0 उच्चतम न्यायालय जोधुपर के एस.बी. सिविल रिट पेटीशन नम्बर 1887/2017 घेवरचन्द वगैरा बनाम स्टेट ऑफ राज0 एवं जिला कलक्टर बाडमेर आदि में पारित निर्णय दिनांक 11.08.2017 के पैरा (12 ऑफ 13) पर निम्नप्रकार से है:–

It appears that the law laid down by the Hon'ble Supreme Court in Mithoo Sahani's case (supra) has not been brought into the notice of the Division Bench of this Couart while deciding t he D.B.Civil Special Apeal (W) No.1958/2011, Manohar Lal Vs. District Collector, Barmer & Ors. This Court in Nagaar Mal Vs. Addl. District Collector, Sikar & Ors. (supra) has rightly held that registration of a patta is only a consequential event and when the pattas are found to have been issued contrary to the obtaining rules, the mere registration athere of cannot be treated as a safe harbor. The cancellation of said patta by the competent authority will also thus entail would follow

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

consequences in law rendering the registration thereof ineffective and inconsequential. In view of the above discussions, I do not find any illegaliaty in the impugned order passed by the district Collector, Barmer. Hence, there is no force in this writ petition and the same is hereby dismissed in limine.

अतःमाननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मिथू सहानी के निर्णय के अनुसार अगर कोई पट्टा नियमों के विरूद्व जारी किया गया है अगर वह रजि0 भी हो तो भी निरस्त किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन किसी प्रकार से अवैध पट्टा को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा अगर समीक्षा से उक्त विवादित पट्टा विधिविरूद्व गलत तथ्यों के आधार जारी होना पाया जावेगा तो वह निरस्त किया जा सकता है।

जहां तक रेस्पोडेन्ट को जारी पट्टा विधिसम्मत् है अथवा नहीं इस सन्दर्भ में राज0 पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 का अवलोकन करना आवश्यक होगा।

उक्त नियम 157 निम्नप्रकार से है :-

157. पुराने गृहों का विनियमितिकरण :-जहां व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृहहों और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हों वहां निम्न अनुसार राशि जमा कराये जाने के पश्चात पंचायत पट्टाजारी किया जा सकेगा।

(क) 50 वर्ष से अधिक पूर्व से निर्मित मकानों हेतु। 100/-रूपये

(ख) इन नियमों के लागू होने की तिथि से 50 वर्षो के दौरान बने पुराने मकानों हेतु 200/-रूपये

उक्त नियम के अवलोकन से स्पष्ट है कि केवल ऐसे मकान जो 50 वर्ष से अधिक पूर्व से निर्मित मकानों हेतु 100/-रूपये जमा करवाने पर नियमित किया जा सकता है एवंम इन नियमों के लागू होने की तिथि से 50 वर्षो के दौरान बने पुराने मकानों हेतु 200/-रूपये जमा करवाने पर नियमित किया जा सकता है।

निगरानीकर्ता ने निगरानी के पैरा संख्या 05 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि प्रश्नगत भूखण्ड आज भी खाली पड़ा है जिस पर आज दिनांक तक कोई मकान निर्मित नही है साथ ही निगरानीकर्ता द्वारा उक्ता विवादित भूखण्ड की फोटो प्रस्तुत की है जिसमें उक्त विवादित भूखण्ड को खाली दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत चूनावढ द्वारा उक्त भूखण्ड के नियमितिकरण हेतु उपलब्ध पट्टा पत्रावली में कमेटी की कोई रिपोर्ट अंकित नहीं है।

चूंकि जैसा उपर विवेचन किया गया है कि गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02 के कब्जे के उक्त भूखण्ड में कोई मकान निर्मित नहीं था । इस तथ्यों को छुपाकर अवैध रूप से पट्टा कमांक 92 जारी करवाया गया है जिसक पंजीयन भी करवाया जा चुका है। माननीय उच्चतम न्यायलाय के न्यायिक दृष्टात मिथू सहानी के निर्णय के अनुसार गलत तथ्यों के आधार पर जारी करवाये गये पट्टे के रजि0 का कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। अतः उक्त पट्टा कमांक 92 आवंटन आदेश दिनांक 12.03.2018 को जारी है जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय चूनावढ द्वारा किया गया है को निरस्त किया जाता है। निगरानी निगरानीकर्ता स्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पालनार्थ भेजी जावे एवं रिकार्ड लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 27.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
(प्रशासन) श्रीगंगानगर

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर